

हाल बिहार सरकार ने भ्रादिवासियों को बर्बाद करने के लिये ठेकेदारों द्वारा बेरहमी से साल के जंगल काट कर वहाँ पर सागवान के पेड़ लगाने की योजना बनाई है जिस का कोई उपयोग भ्रादिवासियों को नहीं है। इतना ही नहीं बरत सी रेयती जमीन में भी वे लोग जबदेस्ती सागवान का घास लगा रहे हैं जिसके चलते खेती बाड़ी बन्द होने की स्थिति म आ गई है। कहना ज्यादा होगा कि तमाम वन विभाग की नियुक्तियों में भ्रादिवासियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है, न वन विभाग के संचालन में भ्रादिवासियों का कोई हिस्सा है। इस रूप ने छोटा नागपुर में भ्रादिवासियों के लिए एक भ्रमहनीय परिस्थिति पैदा की हुई है जिसमें भ्रादिवासियों को न नोकरी मिलती है न खेती चला सकते हैं, न साल के जंगल से जो रोटी रोजी चलती थी वह भी साल काट करके सागवान लगाने के नाते बन्द होने पर है। वह इस प्रकार से भी कि तमाम भ्रादिवासियों को छोटा नागपुर से बर्बाद होकर भाग जाना पड़ेगा।

15 hrs.

इस परिस्थिति को ले कर दिनांक 7 नवम्बर, 1978 को कुछ भ्रादिवासी लोग स्त्री एवं पुरुष भ्रादि मिल कर अपनी रेयती जमीन पर ग्राम इंचाहातु, थाना गुलकेरा, जिला सिंहभूमि में बैठकर करीब अपराह्न 3 बजे विचारविमर्श कर रहे थे। इसी समय में भ्रक्समात पुलिस पहुंच गई। बिहार, बी० एम० पी० तथा स्थानीय पुलिस अधिकाइयों के साथ गोयलकरा ब्लॉक का बी० डी० श्री० वहाँ पर पहुंचे तथा वीर कोई सावधानी देखे गोली चलाने का आदेश दे दिया जिस के चलते तुरन्त यहाँ एक व्यक्ति, श्री महेश्वर जमुदा की तत्काल वहाँ मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। दूसरी घटना गांव मरेंदा प्रखंड गोलकरा, थाना गोलकरा, जिला सिंहभूमि में दिनांक 25 नवम्बर, 1978 को करीब डेढ़ बजे हाट स्थान पर हुई। हाट में जब स्थानीय एम० पी० श्री वागुन सोमराय जी का प्रचार हो रहा था उसी समय भ्रचानक बी० एम० पी० के साथ मर्किल आफिसर वहाँ पर पहुंच गये एवं भ्रधांध धाटियां में गोली चलवायी। जिस से घटनास्थल में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा करीब 12 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए। इसके बाद भी विभिन्न वाहनों से वहाँ भ्रत्याचार चल ही रहा है। इस के बाद फिनहाल रांची जिला के खूटी में भी गोली चली। जिस में एक भ्रादिवासी मारा गया। मूल बात जागृति के बाद भ्रादिवासी जब अपना हक मांग रहा है तो चारों तरफ से उस को हतोबल तथा छंस करने का फेर में लगा हुआ है। इस प्रकार भ्रादिवासियों पर भ्रत्याचार बड़े बड़े डैम तथा कारखाना भ्रादि के जरिए भी हो रहा है जैसे कोयलाकारों या स्वर्णरेखा योजना, जहाँ हजारों एकड़ भ्रादिवासियों की जमीन डूबेगी वहाँ एक भी भ्रादिवासी को नियुक्ति नहीं मिली एवं पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जब कुछ दिन पहले छोटा नागपुर का भ्रादिवासी तथा मूलवासी लोगों ने भ्रावाज उठायी तो उसे भी कान्डील में सिंहभूमि में गोली चला कर दबाया गया। कल भी भ्रखबार में दुमका जिला में दो भ्रादिवासियों को पुलिस द्वारा गोली मार कर मारने की खबरें आई हैं।

एवं भ्रादिवासियों के दो जाने माने नेता सर्वश्री एन० ई० होरो एवं शिबु सोटेन को एक महीने से ज्यादा हो रहा० है जेल में बन्द कर रखा गया है।

इस प्रकार हर क्षेत्र में बिहार सरकार भ्रादिवासियों के साथ एक भ्रलिखित लड़ाई में उतर चुकी है जिसका परिणाम बिहार तथा भ्रादिवासियों के लिये कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार को भ्रबिलम्ब इन तमाम चीजों के बारे में हस्तक्षेप करना चाहिये वहाँ के लोगों की यह मांग है कि तमाम सिलसिलेवाज डंग से गोलीकांड की संसद् द्वारा जांच हो, दोषी भ्रफसरों को सजा मिले। मृत भ्रादिवासियों के परिवारों को मुभ्रावजा दिया जाय। सागुवान के स्थान पर साल का, महुआ का वन लगाया जाय। रेयती जमीन की वन विभाग से भ्रलग किया जाय एवं बिहार का वन विभाग तथा सिचाई विभाग के तमाम कामों में तथा नियुक्तियों में छोटा नागपुर भ्रादिवासियों तथा मूलवासियों को प्राथमिकता दी जाये। सरकार यदि तमाम चीजों पर तुरन्त कार्यवाही न करे तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ एक विस्फोट हो सकता है, जिस को जिम्मेदार सरकार होगी।

(iv) AIR FORCE STATION, JAMNAGAR.

श्री भागीरथ बंधर (भाबुभ्रा) : माननीय सभापति जी, मैं आप की अनुमति से नियम 377 के भ्रन्तगत निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न का उल्लेख करता हूँ।

“समाचार-पत्रों मे विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है कि जामनगर (गुजरात) नगरपालिका ने वायु सेना केन्द्र से लगे क्षेत्र को भ्राबादी में बदले जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करदी है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग सन् 1965 के हिन्दू पाक युद्ध में भी समस्या बन गये थे और इसी कारण वहाँ बसे लोगों को हटाया गया था। भ्रब पुनः उस क्षेत्र को भ्राबादी में परिवर्तन करने से वायु सेना केन्द्र तथा देश की सीमा की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है। भ्रतः देश तथा जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय की भ्रर माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान भ्राकषित कर निवेदन करता हूँ कि नगरपालिका, जामनगर तथा गुजरात सरकार को ऐसी कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दें।”

(v) DEMANDS OF RESEARCH SCHOLARS OF ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI.

श्री उषसेन (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं नियम, 377 के भ्रन्तगत इस बात की सूचना देता हूँ कि भ्राल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज नई दिल्ली के भ्रधिकारी ने एस० वाई० एस० सोसाइटी